मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, दिल्ली

ओल्ड सेंट स्टीफेंस कॉलेज बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली–110006
हेल्पलाइन नं.: 1800–111–400 काल सेंटर नं.: 1950 वेबसाइट: www.ceodelhi.gov.in

दिल्ली विधानसभा चुनाव – 2015

सार्वजनिक सूचना

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2015 के दौरान टेलीविजन/रेडियो चैनलों/श्रव्य–दृश्य प्रदर्शनों/सिनेमा हॉल/इंटरनेट आधारित मीडिया/सोशल मीडिया, ई–पेपर्स और केबल नेटवर्क सहित वेबसाइट पर प्रकाशन/प्रसारण के लिए राजनीतिक विज्ञापनों का मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति (Media Certification and Monitoring Committee - MCMC) द्वारा प्रमाणन।

एतद्द्वारा सभी पंजीकृत राजनीतिक दलों/समूहों/संगठनों/संघों जिनका मुख्यालय (पंजीकृत कार्यालय) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में है और चुनाव लड़ रहे निजी प्रत्याशियों को सूचित किया जाता है कि राजनीतिक प्रकृति/दिल्ली विधान सभा चुनाव 2015 से संबंधित विज्ञापन के टेलीविजन/रेडियो चैनलों/श्रव्य–दृश्य प्रदर्शनों/सिनेमा हॉल/इंटरनेट आधारित मीडिया/सोशल मीडिया और केबल नेटवर्क सहित वेबसाइट पर प्रकाशन/प्रसारण के पूर्व प्रमाणन प्राप्त करना अपेक्षित है।

यह प्रमाणन प्राप्त करने की अनिवार्यता सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय बनाम मैसर्स जेमिनी टीवी प्रा.लि. और अन्य के मामले में SLP(C) No. 6679/2004 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के परिणामस्वरूप भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश सं. 509/75/2004/जेएस–1 दिनांक 15 अप्रैल 2004 के अनुसरण में अपेक्षित है, जिसमें यह निर्देश दिया गया है कि कोई भी केबल आपरेटर या टीवी चैनल ऐसे किसी विज्ञापन का प्रसारण नहीं करेगा जो देश के कानून के अनुरूप नहीं है और जो नैतिकता, शालीनता और वैचारिक भावना को ठेस पहुंचाता हो या शर्मनाक, अप्रीतकर और घिनौना हो। इसके अलावा ऐसे किसी विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जाएगी जो किसी नस्ल, जाति, रंग, मत और राष्ट्रीयता का अपमान करता हो और भारतीय संविधान के किसी उपबंध के विरूद्ध हो और लोगों को अपराध करने के लिए उकसाता हो, या किसी रूप में अव्यवस्था या हिंसा या कानून भंग या अश्लीलता को गौरवान्वित करता हो।

प्रमाणन प्राप्त करने के इच्छुक सभी प्रत्याशियों/राजनीतिक दलों को यह भी सूचित किया जाता है कि उनके विज्ञापन आदर्श आचार संहिता के अनुरूप होने चाहिए।

भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मार्गनिर्देशों की पूर्ति के लिए जिन राजनीतिक दलों/समूहों/संगठनों/संघों का पंजीकृत कार्यालय दिल्ली में है, उनके द्वारा राजनीतिक प्रकृति के विज्ञापनों के पूर्वदर्शन और जांच के लिए आवेदनों पर कार्रवाई के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यालय, दिल्ली, ओल्ड सेंट स्टीफेंस कॉलेज बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली–110 006 में अपर मुख्य चुनाव अधिकारी (Addl. CEO, Delhi) के स्तर पर मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति (MCMC) गठित की गई है।

इसी प्रकार की समितियां प्रत्याशियों से प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए हर जिले में जिला चुनाव अधिकारी (DEO) / रिटर्निंग ऑफिसर (RO) संसदीय क्षेत्र के तहत जिला स्तर की मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समितियां गठित की गई हैं।

किसी मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय/राज्य दल/पंजीकृत राजनीतिक दल/समूह/संगठन/संघ जिसका मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में है, या दिल्ली में चुनाव लड रहे प्रत्याशी द्वारा किसी विज्ञापन के प्रमाणन के लिए आवेदन विहित प्रपत्र में, विज्ञापनों के प्रसारण की तारीख से तीन (03) दिन पूर्व तथा अन्य मामलों में सात (07) दिन पूर्व संबंधित समिति को प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदकों को प्रस्तावित विज्ञापनों की दो प्रतियां इलेक्ट्रानिक रूप (सीडी) में विधिवत रूप से सत्यापित इसकी अंग्रेजी और हिंदी प्रतिलिपि के साथ प्रस्तुत करनी हैं।

विज्ञापन का प्रसारण/प्रकाशन इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकता है कि संबंधित विज्ञापन प्रसारण के लिए उपयुक्त है।

विज्ञापन के किसी भाग को सीधे हटाने/संशोधन करने के बारे में किसी विज्ञापन के प्रमाणन के लिए आवेदन पर सबंधित समिति द्वारा लिया गया निर्णय बाध्यकारी होगा और समिति की ओर से इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने के 24 घंटे के अंदर इसका अनुपालन करना होगा। इस प्रकार संशोधित विज्ञापन समीक्षा और प्रमाणन के लिए पुनः प्रस्तुत किया जाएगा। अपर मुख्य चुनाव अधिकारी या संसदीय क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर (RO)/जिला चुनाव अधिकारी (DEO) के स्तर पर समिति के निर्णय के विरूद्ध अपील मुख्य चुनाव अधिकारी, दिल्ली की अध्यक्षता वाली राज्य स्तर की MCMC में की जाएगी, जिसका कार्यालय ओल्ड सेंट स्टीफेंस कॉलेज बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली–110006 में स्थित है।

किसी विज्ञापन के प्रमाणन के लिए विहित आवेदन प्रपत्र वेबसाइट: www.ceodelhi.nic.in से या अपर मुख्य चुनाव अधिकारी या संबंधित संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर/जिला चुनाव अधिकारी (DEO) के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

प्रसारण एजेंसियों के लिए केवल उन्हीं विज्ञापनों का प्रसारण करना अपेक्षित है, जो इस प्रयोजन के लिए गठित समितियों द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित हों।

उपर्युक्त अनुदेश/मार्गनिर्देश आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) के प्रवर्तन के दौरान प्रयोज्य होंगे।

यह सभी संबंधितों के सूचनार्थ, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए जारी किया जाता है।

ह0/-
नीरज भारती
अपर मुख्य चुनाव अधिकारी/ओएसडी

DIP/000/2014-15

16 x 30 cm